राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 287

प्रगति

समाचार पत्र

अप्रैल 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

भारत में पंचायती राज - ग्रामीण विकास का आधार

3 भारत में पंचायती राज:
ग्रामीण विकास का आधार

विषय-सूची

6
मणिपुर में पंचायती राज संस्थाओं के महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण – एक अनुभव

10
अंडमान एवं निकोबार में जीपीडीपी में भू – स्थानिक टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग पर सी – गार्ड ने आयोजित किया तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

11
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

14
विकास विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण क्रियाविधि पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

17
सी जी सी – वैशाली में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनः प्रारम्भ करना

18
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के आतंरिक लेखा परीक्षा पर टी ओ टी

20
आवासीय विकास के लिए विकेन्द्रित समाधानों में सहभागी स्वच्छता योजना

21
जीपीडीपी की तैयारी : एनआईआरडीपीआर संकाय का हाजीपल्ले और गंटलावेल्ली गांवों का दौरा

23
एनआईआरडीपीआर में स्टारपार्ड, पश्चिम बंगाल के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

24
एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रम

भारत में पंचायती राज - ग्रामीण विकास का आधार

प्राचीन काल से ही पंचायतें या इसी तरह की समानांतर संस्थायें भारतीय समाज का एक हिस्सा रही है । महाभारत में भी 'गण' और 'संघ' जैसी संस्थाओं के सन्दर्भ है । चोल साम्राज्य में, गाँव में सभा को 'उर' कहा जाता था । अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी, ऐसे संस्थान मौजूद थे । उदाहरण के लिए-1882 में लॉर्ड रिप्पन के माध्यम से द्वि स्तरीय ग्रामीण बोर्ड गठित किये गए। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद केन्द्रीय नियोजित विकास ने प्रारम्भ में पंचायतों को अनदेखा किया । भारत के मूल संविधान में राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों में ग्राम पंचायतें शामिल है । हालाँकि, 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास की विफलता के बाद समुदाय भागीदारी के महत्व को महसूस किया गया और पंचायतों को स्वयं की सुविधा के लिए एक मंच के रूप देखा गया । 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायतों की स्थापना पहले राजस्थान में की गई थी और बाद में 1960 के मध्य तक अधिकाँश राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया । हालांकि, पहले जैसा उत्साह नही रहा और कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्य सरकारों ने इन पंचायतों को अधिकार प्रदान नहीं किये और अधिकाँश राज्यों ने परिपक्वता से पहले ही इन पंचायतों को भंग कर दिया तथा लम्बे समय तक चुनाव आयोजित नहीं किये । उसके पश्चात 1993 तक विभिन्न समितियों ने पंचायतों को पुनर्जीवित करने की सिफारिशें प्रस्तुत की । अंततः 1993 में 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (73 सी ए ए) के द्वारा भारत के संविधान में भाग IX को सम्मिलित किया गया जिसमें सभी राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाने वाला न्यूनतम सामान्य ढांचा दिया गया था । यह भारत के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था ।

> **" सामूहिक कार्यपद्धति को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों के स्थायी और प्रकार्यात्मक समितियों को प्रशिक्षण द्वारा क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है तथा उनकी नियमित बैठकें आयोजित करनी होगी "**

भारत में पहली बार 73 वें सीएए को त्रि स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया । यह सभी राज्यों के लिए निर्धारित है केवल 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर जिन्हें जिला, अंचल (ब्लाक) और ग्राम स्तरों पर गठित किया जाना होता हैं । इसने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा का प्रावधान किया है उस ग्राम पंचायत में सभी पंजीकृत मतदाता रहते है । इस त्रिस्तरीय पंचायतों को पांच साल का एक निश्चित कार्यकाल दिया गया और अगर इससे पहले भंग हो जाए तो , भंग होने के छह महीने के अंदर चुनाव किए जाएंगे । इस तरह, 73 वें सीएए ने पंचायतों के कार्यकाल के निश्चितता प्रदान की, जो पहले प्रचलन में नहीं था । सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य सीधे निर्वाचित होते हैं जबकि जिले और मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों का चयन उनमें से चुने गए निर्वाचित सदस्यों से किया जाता हैं । चुनाव के लिए, इसने राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की । पंचायतों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों और पंचायतों के बीच आय के वितरण की सिफारिश की जिसके

चलते 73 वें सी ए ए के द्वारा हर पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा। पंचायतों के अधिकारों और प्रकार्यों को रेखांकित करते हुए अधिनियम यह दर्शाता है की राज्य विधान सभाएँ पंचायतों को यह अधिकृत कर सकती है कि वें स्थानीय स्व सरकार के रूप में कार्य कर सकती है जिससे वें भारत की ग्यारवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनायें क्रियान्वित कर सके।

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान एवं कुल जनसँख्या में उनकी जनसँख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। उन्नीस राज्यों ने इसे क्रियान्वित किया और पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को राज्यों पर छोड़ दिया गया है। कुछ वर्षों में सभी राज्यों ने 73 वें सीएए के समरूप संबंधित पंचायती राज अधिनियमों को पारित किया। यद्यपि पंचायतों का नामांकन, अधिकार और प्रकार्य एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। पंचायतों का नियमित चुनाव, कार्यावधि का निर्धारण, सत्ता में अनु.जाति और अनु. जनजाति तथा महिलाओं का बड़ी संख्या में प्रवेश, बड़ी संख्या में लोगो को राजनीतिक शिक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बढती सहभागिता आदि 73 वें सीएए की मुख्य उपलब्धियां हैं। आज भारत में लगभग 2.5 लाख पंचायतें है और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए लगभग ३१ लाख निर्वाचित प्रतिनिधि है सिवाय मेघालय ,मिजोरम और नागालैंड तथा अन्य छठी अनुसूची क्षेत्रों में जहाँ पंचायत व्यवस्था मौजूद नहीं है। इनमें से 46 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं है। तत्पश्चात 1996 में पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम जिसे पेसा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को आदिवासी समुदाय की परम्पराओं और रीति रिवाजों के स्व शासन को सुनिश्चित करने के लिए १० राज्यों के पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के लिए पारित किया गया। पेसा अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम सभा का गठन किया जाए और ग्राम सभा को यह अधिकार दिए जाए कि वह आदिवासी पहचान को बनाये रख सके, शोषण से आदिवासियों की रक्षा कर सके तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध कर सके।

प्रभावी योजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण और सामाजिक लेखा परीक्षा के द्वारा ग्रामीण विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई शीर्ष केन्द्रीय और राज्य स्कीमों ने पंचायतों को मुख्य भूमिका प्रदान की हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम (एम जी एन आर ई जी ए) ने पंचायतों को प्रमुख अधिकार दिए है तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पंचायतों की नेतृत्व पद्धति विशेषकर ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में बडा अंतर ला सकते है। हमने, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के सकारात्मक हस्तक्षेप से हिवारे बाजार, रालेगण सिद्धि, दिगंबरपुर, गंगादेवीपल्ली और कई ग्राम पंचायतों को देखा है। इसे साकार करते हुए, भारत सरकार ने उनके क्षमता निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायतों में निवेश किया है। चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी), की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार को 2015-20 के मध्य पांच साल की अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को 200,292.20 करोड़ की कुल राशि प्रदान कराएगा, जो पहले की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा है। इस अनुदान का उपयोग बुनियादी नागरिक सेवाओं के लिए किया जाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन गुणवत्ता में

सुधार किया जा सके ।

आज राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों जैसे - गरीबी नहीं, कोई भूखा नही, गुणवत्तापरक शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, जेंडर समानता, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा, अच्छा रोजगार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, पारिस्थितिकी तंत्र, आदि की रक्षा करना और सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता, किसान की आय के दुगना करना, हर घर में बिजली, सभी के लिए आवास तक पक्की सड़कें, सुशासन के लिए पंचायतों पर निर्भरता की इनकी प्राप्ति तभी की जा सकती है जब पंचायतें अभिसारी सहभागिता योजना में उनके प्रभावी नेतृत्व को प्रदर्शित करती है, योजनाओं का कुशल कार्यान्वयन / कार्यक्रम और सार्वजनिक संस्थानों और अधिकारियों की नियमित निगरानी करती हो । पंचायतों के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास, पी आर आई –एस एच जी अभिसरण एस ई सी सी डाटा एवं मिशन अन्त्योदय का उपयोग करते हुए अभिसरण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है ।

ग्रामीण विकास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, पंचायतों को कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है ।

हालांकि अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज अधिनियमों के सभी 29 विषय को पंचायतों की ग्यारहवी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया है । वास्तव में गतिविधि मानचित्रण पर आधारित उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को इन विषयों को सौंपा नहीं गया हैं । इन पंचायतों के पास पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी नहीं है । कई राज्यों में, एक ग्राम पंचायत का सचिव कई ग्राम पंचायतों का प्रभारी हैं । लाइन विभाग कार्यकर्त्ता जवाबदेह नहीं हैं , और पंचायतों को रिपोर्ट नहीं करते हैं । कुछ राज्यों को छोड़कर, पंचायतें अभी भी निधियों के लिए केंद्र और राज्य पर निर्भर है जो गंभीरता से स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में उनकी पहचान को प्रभावित करता है । जैसे स्वयं का कार्यालय भवन न होना, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, अपर्याप्त कार्यालय उपकरण जैसी अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं से उनका कार्य करना हो जाता है । निर्वाचित प्रतिनिधियों में अपर्याप्त क्षमता, आत्मविश्वास और प्रेरणा की कमी भी अन्य बाधक तत्व है । पंचायतों को ब्लॉक और जिले का सहयोग प्राप्त नहीं होता जिसके चलते पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित सम्मान और पहचान नहीं मिल पाती हैं । ग्राम पंचायते और सचिव केंद्रीकृत है और सामूहिक रूप से कार्य नहीं कर पाते है । जिसके कारण लोग पंचायतों को सरकारी कार्यों और सेवाओं में प्रभावी वितरक के रूप में पहचान नहीं दे पा रहे हैं । इसलिए पंचायतों की ग्राम सभाओं और अन्य कारवाई में लोग सहभाग नहीं करते हैं ।

यदि आज पंचायतों की स्थिति यह है तो सशक्त और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या करना होगा? भारत में पंचायत राज को मजबूत करने के लिए राज्य द्वारा पंचायतों को कार्यों का हस्तांतरण नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित होता हैं तथा उसके बाद निधियों के हस्तांतरण और सौंपे गए कार्यों को करने के लिए कार्यकर्ता आदि पूर्वापेक्षाएं है । यदि किसी मामले में पंचायतें पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में हो तो पाँच राज्यों की सरकारें जिन्होंने अभी तक अपने पीईएसए को अधिसूचित नहीं किया है उन्हें तुरंत अधिसूचित करना चाहिए । राज्यों को केवल केंद्रीय सलाह जारी करके यह हासिल नहीं किया जा सकता है । निर्वाचित प्रतिनिधियों से स्व या उनके राज्य और राष्ट्रीय स्तर के महासंघों के माध्यम से एक जोरदार मांग आनी चाहिए ।

राज्यों को केवल केंद्रीय सलाह जारी करके यह हासिल नहीं किया जा सकता है । निर्वाचित प्रतिनिधियों से स्व या उनके राज्य और राष्ट्रीय स्तर के महासंघों के माध्यम से एक जोरदार मांग आनी चाहिए । ग्राम सभा सदस्यों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और अभिमुख करने के लिए ग्राम सभा अभियान को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में आयोजित करने की आवश्यकता है । इस सशक्तिकरण में समयबद्ध तीन –चार सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावी क्षमता में वृद्धि, वार्षिक पुनश्चर्या विषयगत प्रशिक्षण, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह और नियमित रूप से मांग आधारित हैंडहोल्डिंग किया जाना चाहिए । महिलाओं, एससी और एसटी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष क्षमता निर्माण अभियान की भी जरूरत है । प्रत्येक जिले में कम से कम एक बीकन मॉडल पंचायत का विकास और प्रदर्शनी दौरे से क्षमता बढ़ाने का एक लंबा रास्ता तय होगा और इससे कुछ भी अधिक प्रेरक नहीं हो सकता है जिसे देखकर एक ही जिले और राज्य के प्रदर्शन से अन्य पंचायत प्रेरित होगा और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करेगा । उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए बुनियादी सुविधाएँ जैसे कार्यालय भवन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, पारंपरिक और सौर ऊर्जा, कार्यालय उपकरण विशेषकर ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाये । देश भर में स्वयं सहायता समूह आंदोलन के द्वारा सृजित सामाजिक पूंजी को पंचायतों के समर्थन में उपयोग किया जाए और सार्वजनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली जैसे कि आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उप केंद्र, आदि और सीमावर्ती कार्यकर्त्ता जैसे कि सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), कृषि विस्तार कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक आदि की प्रभावी रूप से निगरानी की जा सके । ग्राम सभा में सहभाग तथा सामाजिक अंकेक्षण में भाग करवाते हुए एसएचजी इन पंचायतों को जवाबदेह बना सकती है ।

अंत में , ग्रामीण क्षेत्रों में वैश्विक और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को हासिल करने में पंचायतों की मुख्य भूमिका है और राष्ट्र इन संस्थाओं की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है । हालाँकि, कुछ आंतरिक और बाहरी चुनौतियाँ पंचायतों को उनकी क्षमता का बोध कराने से रोक रही हैं । सशक्तिकरण के लिए नीतिगत ढांचा, क्षमता वृद्धि कार्यक्रम और एसएचजी की सामाजिक पूंजी का उपयोग कर जवाबदेही को लागू करने में ये आंदोलन उन चुनौतियों को दूर करने और पंचायतों को ग्रामीण विकास के आधार के रूप में उभरने में मदद करेगा ।

डॉ. राजेश कुमार सिन्हा
सहायक प्रोफेसर,
अनुसंधान और प्रशिक्षण
समन्वय और नेटवर्किंग केंद्र
कवर पेज डिजाइन: **श्री वी. जी. भट**
फोटो साभार: **एसटीएआरपीएआरडी**

केस स्टडी

मणिपुर में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण : एक अनुभव

मणिपुर के पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का उद्देश्य, जनप्रतिनिधि के रूप में उनके दैनिक कार्यों में प्रभावी और सक्षम प्रकार से कार्य करने तथा प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करते हुए उनकी क्षमताओं को बढाने के लिए डिजाइन किया गया था । इस संबंध में, परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मल्टी ट्रैक दृष्टिकोण अपनाया गया था । उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों, विकेंद्रीकृत शासन से जुड़ी प्रक्रियाओं और तंत्र, सरकार के योजनाबद्ध हस्तक्षेप, शासन प्रक्रियाओं में उन्हें सक्रिय रूप से

जोडने संबंधी जानकारी के लिए बढ़ावा देना आदि पर ऑन साइट प्रशिक्षण प्रदान किया गया । इस उपघटक के तहत कई नवीन और सफल कार्य थे । अध्ययन को प्रारंभ किया गया । इसलिए, ऑन-साइट प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग के बाद, चयनित ईडब्ल्युआर से प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणाम का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए साक्षात्कार किया गया । साक्षात्कार गाइड को तीन जिलों में संचालित किया गया (पूर्वी इंफाल, पश्चिमी इम्फाल और थौबल जिला) । जिसका आधार ईडब्ल्युआर के निर्वाचित नियमो और शैक्षिक पृष्ठभूमि और उनके योगदान एवं विकास के प्रति नवीन विचार गतिविधियों पर था । इस सम्बन्ध में, सोद्देश्य नमूना चयन के माध्यम से ज़िला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य साक्षात्कार हेतु चुने गये । संरचित प्रश्नावली के माध्यम से ई डब्लू आर से सूचना एकत्रित की गयी जिसमें संयुक्त प्रश्न युक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार में भागीदारी धारणा के बारे में राजनीति, नेतृत्व योगदान और विकास की दिशा में योगदान गतिविधि को सम्मिलित किया गया । डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक परियोजना निदेशक तथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम समन्वयक थी ।

मामला 1

तरुणी देवी, 50, जिला परिषद अध्यक्ष पश्चिम जिला इम्फाल से है तथा अनारक्षित श्रेणी से है महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मुद्दों के अंतराल को भरने के लिए चुनाव लड़ा । समुदाय के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों जैसे कि माया पाबी (एक महिला संगठन) के लिए शेड का निर्माण, सेनेटरी ड्रेनेज, कचरा शेड, स्ट्रीट लाईट, सुरक्षित पेयजल, गाँव की सड़कें और विधवाओं के लिए योजनाएं आदि में योगदान दिया है । उसने पंचायत / जिला परिषद में घरेलू हिंसा, महिलाओं और बाल स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है । जब आरक्षण नीति के बारे में पूछा गया तो तरुणी देवी ने जवाब दिया कि यह महिला समुदाय के लिए एक्सपोज़र देता है, यह एक जगह है जो महिलाओं को विकास गतिविधियों में शामिल करता है और उनके द्वारा अनुभव की गई समस्याओं को सामने लाता है । महिलाओं के लिए आरक्षण ने भी जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया है । हालांकि, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है जो फिर एक चिंता का विषय है और इसे लागू करने की आवश्यकता है ।

तरुणी ने कहा कि चुनाव के बाद यह उसका पहला प्रशिक्षण है और उसने आधिकारिक प्रक्रियाओं और रखरखाव के बारे में सीखा । इसे सीखने के अनुभव ने विशेष रूप से प्रासंगिक निर्णय लेने में उसकी काफी मदद की है । एनआईआरडीपीआर की टीम द्वारा एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया । उपयोग किए गए संसाधनों में - प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के साथ वास्तविक प्रशिक्षण, उसके बाद प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन आदि शामिल है । उसने कहा कि "इसने मुझे अधिकारियों के साथ एक बेहतर संबंध बनाने, विश्वास का स्तर, ज्ञान और साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत मदद की है ।" आगे: उसने महिलाओं और बच्चों के लिए संवैधानिक कानून से संबंधित अधिक प्रशिक्षण में भाग लेने में अपनी रुचि व्यक्त की । उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि एक नेता को जीवन और बहुत व्यस्त बनाता है अक्सर, उसे घर का काम छोड़ना पड़ता है और सामुदायिक कार्य के लिए जाना पड़ता है । तरुणी ने बताया कि महिला प्रतिनिधियों में बहुत अंतर नहीं है; सभी ईडब्ल्युआर प्रभावी रूप से उनके समुदाय के लिए काम कर रहे हैं । निर्णय लेने की प्रक्रिया में, गतिविधियाँ सभी प्रकार के पंचायत कार्यों से संबंधित क्रियाकलाप जैसे कि विकास नीतियों का कार्यान्वयन, निधि आबंटन, बैठकों का आयोजन आदि को प्राथमिकता दी गई है तथा ग्राम वासियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार इसे पंचायत सदस्यों के साथ समूह निर्णय लेने में प्राथमिता दी गई ।

तरुणी ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए योजना में स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता आवश्यकता है तथा उनकी विकास आवश्यकताओं को वरियता के आधार पर किये जाने की आवश्यकता हैं । हालांकि ग्राम सभा का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है परन्तु कुछ ग्रामवासी दैनिक कार्यों के रूप में दैनिक मजदूरी और अन्य वित्तीय पूर्वाग्रहों के चलते उपस्थित नहीं हो पाते है । फिर भी ग्राम सभा के कार्यवृत्तों के बारे में उन्हें सूचना दी जाती है । ग्राम सभा में महिलाओं द्वारा उठाये गए मुद्दें लगभग पुरुषों द्वारा उठाये गए मुद्दों के समान ही हैं । सामान्य मुद्दों का समाधान करते समय यहाँ जेंडर संबंधी पक्षपात नहीं है ।

मामला 2

क्षत्रिन्यौ फौवा देवी, उम्र 45 वर्ष, इम्फाल ईस्ट ज़िला परिषद की उपाध्यक्ष के रूप में पहली बार निर्वाचित हुई हैं । उनका मुख्य फोकस ग्रामवासियों की व्यक्तिगत मांग और आवश्यकताओं को जानने के लिए वार्ड वार बैठके आयोजित करना तथा गरीबों की समस्याओं का समाधान करने एवं ग्रामवासियों में जागरूकता फैलाना और ग्राम पंचायत वार बैठके आयोजित करना हैं जिससे वे ग्राम विकास क्रियाकलापों में सक्रिय सहभाग कर सके । इन बैठकों में समस्या परक मुद्दों पर चर्चा तथा प्रचलित कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने तथा बेहत्तर सहभागिता हेतु लोगो को प्रेरित किया गया । उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने पेयजल और ठोस प्रबंधन से सम्बंधित समस्याओं के समाधान पर प्राथमिकता दी । उन्होंने विभिन्न

विकास कार्यक्रमों के लिए लाभभोगियों के चयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर बैठके आयोजित की । हालांकि कुछ अन्य योजनायें जैसे – सुअर पालन ऋण, कृषि सम्बंधित ऋण, बीज इत्यादि क्षेत्रीय विभागों को लाभभोगियों के चयन में सम्मिलित किया गया । उन्होंने बताया कि लाभभोगियों के चयन हेतु क्षेत्रीय विभागों को सम्मिलित करने से ग्रामवासियों को समस्याएँ आई है । चयन प्रक्रिया में राजनैतिक दबदबा होने के कारण विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत जरुरत मंद लोगो को लाभ नहीं मिला है ।

उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और वास्तविक डाटा के बीच अंतर हैं ।इसलिए जरूरतमंद लोगो को विभिन्न विकास स्कीमों से लाभ नहीं मिल पा रहा हैं । यहाँ पर आबंटित राशि के उपयोग हेतु राज्य सरकार को निश्चित समय सीमा दिए जाने की आवश्यकता है । ग्राम विकास में प्रभावी रूप से सहयोग देने हेतु ई डब्ल्यु आर के लिए शिक्षा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं । उन्होंने बालिका शिक्षा पर अधिक ध्यानाकर्षण किया है ।

ग्राम सभा बैठकों के सम्बन्ध में आजकल अधिकाँश महिलाएं उपस्थित हो रही हैं क्योंकि बैठकों में उनकी उपस्थिति के महत्त्व को वह जान गई हैं । क्षत्रिन्यौ फौवा देवी कहती हैं कि ग्राम सभा बैठक के दिन महिलाएं अपने दैनिक समय से एक घंटा पहले उठती है और अपने घरेलू काम-काज का निपटान करती हैं । इसके अलावा क्षत्रिन्यौ फौवा देवी ने गाँव में कानूनी सहायता सेवा केंद्र सुविधा प्रारम्भ की है जिसके द्वारा लोगों को घरेलू हिंसा और अन्य मुद्दों पर ग्रामवासियों में जागरूकता बढाई जा रही है तथा निचली अदालत में संपर्क करने से पूर्व कानूनी मुद्दों को समाप्त करने में सहायता प्रदान की है ।

फौवा देवी ने कहा कि सी बी एवं टी उनका पहला संरचनात्मक प्रशिक्षण है जहाँ उन्होंने पंचायती राज अधिनियमों के बारे सीखा हैं । इससे पहले वह पंचायती राज अधिनियमों के बारे में तथा महिला एवं बाल विकास के बारे में नहीं जानती थी लेकिन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के बाद उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल हुई जैसे-बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने में पंचायतों की भूमिका एवं उनका अनुश्रवण, योजना एवं बजटिंग, शिनाख्त और बी पी एल सूची का सत्यापन, सूक्ष्म योजना, ग्राम सभा एवं वार्ड सभा में सहभागिता का महत्त्व, घरेलु हिंसा ,महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा से सम्बंधित कानूनी प्रावधान, सामाजिक रीति –रिवाज एवं महिलाओं पर उसका प्रभाव आदि ।

मामला - 3

पुखाराम्बम सुरबाला देवी, प्रधान, बैटन ग्राम पंचायत, इम्फाल ईस्ट से चुनावी उम्मीदवार रही क्योंकि वे स्वयं इसमें रूचि रखती थी और वे ग्रामीण स्थानीय लोगो की मदद करना चाहती थी तथा समान अधिकार पाने में ग्रामीण महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहती थी । उनका संबंध बड़े परिवार से हैं और उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषी थी परन्तु आर्थिक तंगी और पितृ प्रधान नियमों के कारण वह असमर्थ रही । सुरबाला ने कहा कि महिलाओं के क्षमता निर्माण से नेतृत्व पद्धति गुणों को विकसित करने और महिलाओं को अधिकार प्रदान कारने में काफ़ी योगदान दिया हैं क्योंकि महिलाएं घरेलू हिंसा, सामाजिक असहिष्णुता और आर्थिक अन्याय का शिकार हुई हैं । उन्होंने महिलाओं की सहभागिता और उनके अधिकार के प्रति समुदाय की संवेदनशीलता को महत्त्व दिया हैं ताकि वे विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था में सार्थक रूप से सहभाग कर सके । सुरबाला देवी अपने समुदाय को निम्नलिखित रूप में आगे बढ़ाना चाहती है ;

क) छात्राओं में निरक्षरता का उन्मूलन एवं बाल मजदूरी से उन्हें मुक्ति दिलाना ।

ख) गुणवत्ता शिक्षा ,स्वास्थ्य सुविधाएं एवं रोज़गार हेतु कौशल प्रशिक्षण द्वारा निर्धनता उन्मूलन करना ।

ग) ग्रामीण लोगों के अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाना ।

घ) महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए महिला एस एच जी को बढ़ावा देना ।

स्थायी विकास योजना और पुनरीक्षण हेतु नियमित ग्राम सभा बैठकें आयोजित की गई और अग्रिम कार्य योजना तैयार की गई । सुरबाला देवी ने कहा कि वे पूर्व ग्राम सभा बैठकों की पुनरीक्षा बैठकें आयोजित करती है जिसमें लंबित मुद्दों पर चर्चा के पश्चात विश्लेषण एवं समाधान किया जाता है सामाजिक मुद्दे जैसे- नशाबंदी, शराब और घरेलु हिंसा इत्यादि पर ग्राम सभा बैठक में चर्चा की जाती है । सरकार की स्वायतत्ता मुख्यतः स्व- स्रोत राजस्व की महत्ता (ओ आर एस) उसके कमांड और स्वच्छन्दता एवं इसे आगे बढ़ने और परिचालन पर निर्भर करता है । ओ एस आर के अंतर्गत बैटन ग्राम पंचायत ने जल कर, बाजार कर और केबल वसूली की हैं ।

सुरबाला ने कहा की उनके ग्राम पंचायत ने पहले ही जीपीडीपी तैयार किया है और प्रथम सुनियोजित ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया है और डाटा का संकलन किया है । आगे, उन्होंने कहा कि बैटन ग्राम पंचायत के लिए तीन स्थायी समितियों का गठन किया हैं –

क) सामाजिक न्याय समिति

ख) सुविधा समिति

ग) सुरक्षा समिति

क्षमता निर्माण प्रशिक्षण ने उन्हें एक आम मंच पर खड़ा किया है । ये मंच महिला आत्मविश्वास और हिम्मत को बढ़ाता है और जिस प्रकार का बदलाव वे लाना चाहती है ला सकती है । प्रशिक्षण में यह महसूस किया गया है कि महिलाओं की प्रतिभागिता से स्थितियां बदल सकती है और उनके ज्ञान को बढ़ा सकती है । इससे महिलाओं को उनके वास्तविक जीवन की स्थिति और शक्तिहीनता में संयोजन स्थापित करने में सहायता मिलेगी । प्रशिक्षण कार्यक्रम से सूचना

का प्रचार-प्रसार बढ़ा है तथा उन्हें सौंपे गए संसाधनों पर महिलाओं को अधिकारों की मांग हेतु प्रोत्साहित करता है। चिन्हित निधियों पर महिलाओं की इस दृढ़ता की प्रक्रिया ही उन्हें अपने आप अधिकार प्रदान करेगी।

मामला - 4

थियाम रेबिका, वार्ड सदस्य, इम्फाल वेस्ट उम्र 67 वर्ष मंगू शंगाई ग्राम पंचायत ने मैरपबी संस्था की मदद से चुनाव जीता और उनके प्रोत्साहन हेतु कार्य किया। एक वयोवृद्ध महिला होने के नाते पंचायत के किसी भी कार्य के संचालन में कठिनाई नहीं आई। हालांकि कभी–कभी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि वे मणिपुरी नहीं थी। अपनी व्यक्तिगत रूचि के कारण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से सम्बंधित उनके समुदाय हेतु कार्य की रूचि, सुरक्षित पेयजल, निराश्रित परिवारों को आश्रय हेतु रेबिका वार्ड सदस्य के चुनाव में खड़ी हुई। चुनाव के बाद रेबिका ने अपने वार्ड में शौचालय निर्माण का कार्य शुरू कर दिया उसके बाद उनके पर्यवेक्षण में मुख्यमंत्री होकेसियांतिंग बैंक स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड तैयार किये गए तथा पी एम् ए वाई के लिए लाभभोगियों की शिनाख्त की।

ग्राम सभा बैठकों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि "निरक्षरता, ज्ञान की कमी, पारिवारिक कार्य एवं मजदूरी श्रम कार्य के चलते ग्रामवासी नियमित रूप से ग्राम सभा में उपस्थित नहीं हो पा रहे है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के प्रति महिलाओं का ध्यानाकर्षण अधिक है। मेरे अनुभव के साथ मेरा सुझाव है कि विकास हासिल करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता है। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण बतौर सरकारी प्रशिक्षण है जहाँ मैंने विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायत एवं अन्य एजेंसियों के बीच संयोजन को सीखा है। अनुभव सत्र के द्वारा मुझे अन्य गावों को देखने का अवसर मिला है तथा उनके ग्राम विकास योजना को समझा है। पंचायती राज के द्वारा ग्राम समस्याओं और संसाधनों के बारे में सरलता से समझ पायी हूँ।

ग्राम सभा की उपस्थिति के सन्दर्भ में निरक्षरता, घरेलू कार्य और रूचि न होने के कारण सहभागिता बहुत कम है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सहभागिता ग्राम सभा बैठकों में बहुत अधिक है। रेबिका ने कहा है कि अधिकाँश ग्रामीण जनता दैनिक मजदूर के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए वे ग्राम सभा बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ है। राजनैतिक प्रक्रिया में सहभाग करने हेतु आरक्षण नीति महिलाओं को अधिक अवसर देती है, रेबिका ने कहा कि महिलाओं को समाज के साथ –साथ ग्राम वासियों के बारे में अधिक जानकारी होती है। हालांकि महिलाओं की बातें दबाने के कई कारक है, उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है और शासन प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी होती हैं। निरंतर अधीनता के कारण महिलाओं को सार्वजनिक जिम्मेदारियों निभाने का आत्मविश्वास नही रहता।

उसने कहा कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है और रेबिका ने हमेशा नशाबंदी, शराबबंदी को एस एच जी से सम्बंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया हैं। रेबिका ने कहा कि वह चुनाव से पहले एक शमशान घाट का निर्माण करना चाहती है परन्तु रिश्वतखोरी के चलते और निधियों की कमी के कारण नहीं बना पायी परन्तु चुनाव जीतने के बाद अपने समुदाय के लिए शमशान घाट निर्मित करना चाहती है।

रेबिका ने कहा की क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत प्रभावी है और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। अनुभव सत्र का उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में स्व सहायता समूहों (एस एच जी)और पंचायती राज संस्थाओं की कार्य पद्धति, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ परिचर्चाओं और विचारों का आदान-प्रदान पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रेबिका ने कहा कि उनके दल ने अनुभव सत्र से जैसे-पी आर आई की कार्य पद्धति, सदस्यों की भूमिका एवं ग्राम सभा के कार्यों और उसके महत्ता के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। हमें बेहत्तरी के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग और समन्वय के साथ रहने की आवश्यकता है। वे सभी ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय शासन को मजबूत करने एवं विकास योजना के प्रतिपादन हेतु कार्य करेंगे।

मामला - 5

हसीना बेगम, उम्र 45 वर्ष, थोबाल जिले से जिला परिषद की अध्यक्ष है। वर्ष 2017 में जिला पंचायत चुनाव में, जिला परिषद के लिए अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। हसीना बेगम पूर्व अध्यक्ष की पत्नी थी। थौबाल जिले से स्थानीय निवासियों ने उनके राजनैतिक जीवन और समझ को देखते हुए उन्हें समर्थन दिया। हसीना का मानना था कि स्थानीय शासन निकाय में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण से स्थानीय सरकारी स्तर पर शासन प्रक्रिया में वह शामिल हो पाई है। महिलाओं के लिए आरक्षण नीति ने राजनीतिक क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए मुख्य भूमिका निभायी है। अध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं को राजनैतिक जीवन के रुप में अभी भी पहचान नहीं मिली है तथा राजनीति में महिलाओं की प्रदर्शन की कमी के कारण सेवाओं की सुपुर्दगी एवं डिजाईन के प्रति बहुत कम ही प्रासंगिकता तथा उनके राजनीतिक जिम्मेदारियों में किसी अनुभव का अभाव देखा गया है। कारक जैसे – कम साक्षरता स्तर, शिक्षा की कमी तथा सीमित या प्रदर्शन की कमी के कारण आत्म विश्वास में कमी आई है इसके चलते अधिकांश महिलाये विकेन्द्रीकरण की व्यापक सच्ची भावना को और निहित अवसरों को समझने में असमर्थ रही।

हसीना ने ग्राम पंचायत स्तर पर एस एच जी समूहों के गठन हेतु लोगों का ध्यानाकर्षित किया।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एसएचजी में काफी संभावनायें है जबकि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत का आरक्षण है और ग्राम सभा की प्रभावी कार्यपद्धति के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण प्राप्त हो सकता है। उसने कहा कि महिला एस एच जी और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश से उनके परिवार और समाज में एक खामोश क्रान्ति आ सकती है और महिला एस एच जी की सदस्यता ने महिलाओं में आत्म-विश्वास जगाया है। उन्होंने अपने गाँव में पंचायतों की कार्यपद्धति और उसके महत्व को समझा। जबकि दूसरी ओर पंचायतों ने यह महसूस किया कि महिला एस एच जी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है और विकास के लिए भी जिम्मेदार बनाया जाए।

उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभावी विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छ परिसर के साथ सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता पर निर्भर करता हैं। जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण तथा मानव रहन-सहन में एक सीधा संपर्क होता है। मणिपुर में पंचायती राज संस्थाओं ने ई डब्ल्यु आर के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ने एक मंच तैयार करने में मदद की हैं जिसके चलते विभिन्न स्थानों और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से ई डब्ल्यु आर को एकजुट किया है।

निष्कर्ष :-

राजनीतिक संस्थान में महिलाओं की भागीदारी और योगदान और किसी राज्य या क्षेत्र के प्रशासन में उनकी भूमिका को नजरअंदाज या उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ऐसा अनुभव मणिपुरी समाज में पाया जाता है, जो महिलाओं के कौशल, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक और स्थानीय संगठनात्मक समूहों और उनकी गतिविधियों में उपयोग करने के लिए जाना जाता है। हालाँकि, विभिन्न मुद्दों और कई बदलावों ने मणिपुरी महिलाओं के राजनीतिक जीवन में विशेष रूप से 1994 के पंचायती राज अधिनियम के आने के बाद सामने आए हैं। इस संबंध में ईडब्ल्युआर के अधिकांश लोगों ने अधिक से अधिक जिम्मेदारी संभालने और पंचायत के मामलों में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को व्यक्त किया। इंटरफ़ेस संवादों में सरकारी अधिकारियों का असहयोग, जो बहु-हितधारक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए थे, विकेंद्रीकृत सरकार के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का एक और संकेत था। सरकारी योजनाओं विशेष रूप से मनरेगा, पीएमएवाई और पीडीएस का कार्यान्वयन राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न मुद्दे जैसे सामुदायिक हॉल, स्ट्रीट लाइट, पक्की सड़क, पीने का पानी, जल निकासी की कमी, बाजार शेड, तालाबों की बाड़, प्रतीक्षा शेड, कच्चा बांध, सौर लैंप कचरा, श्मशान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, खेल मैदान, ग्राम सभा में अनुपस्थिति, विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी और आपदा प्रबंधन को अनुचित बनाना आदि से संबंधित पाए गए। हालांकि, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ने विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बदलने और मजबूत बनाने के लिए ईडब्ल्युआर को एक मंच प्रदान किया है।

डॉ. रिमकी पटगिरी, पी टी एम एवं
डॉ. प्रत्युम्ना पटनायक
सहायक प्रोफेसर
पंचायती राज केन्द्र, एनआईआरडीपीआर

अंडमान एवं निकोबार में जीपीडीपी में भू-स्थानिक तकनॉलोजी के अनुप्रयोग पर सी गार्ड ने आयोजित किया तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. एम. वी. रवि बाबू, एसोसिएट प्रोफेसर (पहली लाईन में बांए से सातवें) एवं डॉ. एन एस आर प्रसाद, सहायक प्रोफेसर (पहली लाईन में बांए से चौथे) सी गार्ड के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

ग्रामीण विकास में भू-संसूचना अनुप्रयोग केन्द्र (सी गार्ड) ने दि. 23-25 अप्रैल, 2019 के दौरान मेगापोड रिपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में "ग्राम पंचायत विकास योजना में भू-स्थानिक तकनॉलोजी (जी पी डी पी)" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री कृष्णन् कुमार, आई ए एस, सचिव (ग्रामीण विकास एवं कृषि) ने किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपलब्ध वित्तीय और अन्य संबंधित संसाधनों का अधिक उपयोग करने के लिए डेटा का संकलन और योजना में भू-स्थानिक तकनॉलोजी का उपयोग महत्वपूर्ण है।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अधिकारियों का प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उन्हें नवीनतम तकनॉलोजी उन्नयन में अद्यतन बनाए रखता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्णन् कुमार ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यकर्ताओं के लिए विभाग एक नई व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम नीति को तैयार कर रहा है ।

डॉ. नवलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक (ग्रा. वि./पंचायती राज) ने बताया कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो ग्रामीण जनता के लिए सुशासन प्रदान कर सकता है । जी आई एस आधारित तकनॉलोजी के उपयोग से ग्राम पंचायत में अत्यन्त पारदर्शिता के साथ शासन तंत्र के मानक को सुधारने और योजना, अनुश्रवण और डेटा संकलन में बड़े पैमाने पर सहायता मिलेगी ।

डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर (सी गार्ड) एवं कार्यक्रम निदेशक ने तीन दिवसीय कार्यक्रम अनुसूची और उद्देश्यों जैसे – भू-संसूचना, संपत्ति मानचित्रण के लिए मोबाईल अनुप्रयोग, ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना की तैयारी और योजना के लिए जी आई एस डाटा स्तरों का विश्लेषण आदि बिन्दुओं पर प्रकाश डाला ।

डॉ. एन. एस. आर. प्रसाद, सहायक प्रोफेसर (सी गार्ड) एवं कार्यक्रम के सह-निदेशक ने स्थानिक योजना में जी आई एस आधारित उपकरणों का उपयोग करते हुए तथा मोबाईल आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए नजदीकी पंचायतों से क्षेत्र डाटा संकलन सहित प्रायोगिक अनुभव दृष्टिकोण के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित किया ।लगभग ४३ पदाधिकारियों सहित अंडमान एवं निकोबार के तीन जिलों से पंचायत सचिवों ने भाग लिया ।

कार्यक्रम के भाग के रुप में, डाटा संकलन हेतु चौलदारी ग्राम पंचायत का क्षेत्र दौरा आयोजित किया गया जिसमें मोबाईल जी पी एस का उपयोग किया गया।पंचायतों की विभिन्न परिसंपत्तियों का संकलन करने हेतु प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटा गया । क्षेत्र से डेटा इकट्ठा करते समय प्रतिभागियों ने क्षेत्र का अवलोकन एवं क्षेत्र स्थिति को अनुभव प्राप्त किया तथा पंचायत में विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामवासियों एवं प्रधान से विचार-विमर्श किया ।

समापन के अवसर पर श्री सुनील अचिपाका आई ए एस, सचिव (आई टी) ने समापन भाषण प्रस्तुत किया तथा स्थानिक मानचित्रण के लिए पंचायत सचिवों द्वारा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उसकी महत्ता को उजागर किया जिसमें सभी प्रकार की परिसंपत्तियों, सुविधाएँ तथा निचले स्तर पर बेहत्तर योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए भू-संसूचना के महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी विकास लक्ष्यों (एस डी जी) को प्राप्त करने में ग्राम पंचायते महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए निचले स्तर पर एक मजबूत योजना तैयार करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । श्री कृष्णन् कुमार आई ए एस, सचिव एवं डॉ. नवलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक (ग्रा. वि. एवं पंचायत) ने सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया तथा उनसे मूल्यवान प्रतिनिवेश प्राप्त किया एवं प्रमाण-पत्रों का वितरण किया ।

यह एक नई शुरुआत है इस बात पर ध्यान देते हुए सचिव ने इच्छा जाहिर की कि एनआईआरडीपीर के सहयोग से आर डी पी आर विभाग द्वारा बड़ी संख्या में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए तथा पंचायत सचिवों के लिए प्रशिक्षण के आयोजन हेतु एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद दिया । प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा । सभी प्रतिभागियों ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित ग्राम पंचायतों की अभिवृद्धि हेतु स्थानिक योजना के कार्यान्वयन में उनकी सहायता करेगा ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली कतार में बांए से चौथे) डॉ. श्रीनिवास सज्जा, सहायक प्रोफेसर, सी एस ए (पहली कतार बांए से तीसरे) डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सी एच आर डी (पहली कतार दांए से पहले) प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य प्रतिभागियों के साथ

एनआईआरडीपीआर में दि. 19-28 मार्च, 2019 के दौरान सामाजिक लेखा परीक्षा केन्द्र (सी एस ए) ने 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा' पर 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सिर्डाप के सहयोग से आयोजित किया । नौ देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिजी,

ईरान, म्यांमार, नेपाल, फिलिपाईन्स, थाईलैण्ड एवं वियतनाम) के कुल मिलाकर 20 प्रतिभागी उपस्थित हुए । ये सभी प्रतिभागी विभिन्न ग्रामीण विकास मंत्रालयों से संबंधित थे तथा एक सिर्डाप प्रतिनिधि ने भी इस कार्यक्रम में सहभाग किया । कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक एन आई आर डी पी आर ने किया । उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की ।

कार्यक्रम की टीम में डॉ. सी. धीरजा, डॉ. श्रीनिवास सज्जा, श्री. एम. करुणा और सुश्री एलोरा शामिल थे ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सामाजिक लेखा परीक्षा की बेहतर शिक्षा और समझ के लिए, कार्यक्रम की सामग्री को मुख्य रूप से चार मॉड्यूल में विभाजित किया गया था, अर्थात् :

1. गरीबी और ग्रामीण विकास परिदृश्य
2. पारदर्शिता और जवाबदेही उपाय
3. सामाजिक जवाबदेही तंत्र और सामाजिक लेखा परीक्षा
4. सामाजिक अंकेक्षण की समझ के लिए क्षेत्र दौरा

उपरोक्त मॉड्यूल से, 16 क्लास रूम सत्रों का आयोजन किया गया एन आई आर डी पी आर के आतंरिक संकाय सदस्यों और चुनिंदा अतिथि संकायों ने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में योगदान दिया ।

कार्यप्रणाली:

कार्यक्रम के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों, अवधि और प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया था:

1) व्याख्यान और बातचीत सत्र (पीपीटी)
2) प्रतिभागियों से ग्राम्य प्रस्तुतियाँ और अनुभव बांटना
3) वीडियो क्लिप और चर्चा
4) सामाजिक लेखापरीक्षा की व्यावहारिक जानकारी के लिए क्षेत्र दौरा

कक्षा सत्र

मॉड्यूल- I:

गरीबी और ग्रामीण विकास परिदृश्य

दिन 1: 19 मार्च 2019

1) सिर्डाप देशों में गरीबी और ग्रामीण विकास की स्थिति: सुबह के सत्र में, सिर्डाप के प्रतिनिधि श्री टोमासी रायवाना ने सिर्डाप देशों में गरीबी और ग्रामीण विकास की स्थिति पर संक्षेप में व्याख्यान दिया ।

2) सामाजिक जवाबदेही तंत्र पर देश की प्रस्तुतियाँ: दोपहर के सत्र में, विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने उनके देश की भौगोलिक स्थिति और योजनाओं और सामाजिक जवाबदेही तंत्र जैसे विषयों को शामिल करते हुए उनके अपने देश की प्रस्तुतियां दी ।

दिन 2: मार्च 20, 2019

3) सामाजिक लेखापरीक्षा - संकल्पना, इतिहास और अनुप्रयोग: सुबह के सत्र में, श्री निखिल डे, सामाजिक कार्यकर्ता, जो एमकेएसएस के संस्थापक सदस्य हैं, ने सामाजिक अंकेक्षण की संकल्पना, इतिहास और अनुप्रयोग पर एक व्याख्यान दिया, और अभियान के अधिकार और राजस्थान के सामाजिक अंकेक्षण आंदोलन के वीडियो और प्रस्तुतियाँ दिखाते हुए अपने अनुभवों को साझा किया ।

4) गरीबी, सामाजिक बहिष्करण और भेद्यता परिदृश्य: भारत में उन्मूलन रणनीति: मजदूरी रोजगार केंद्र के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डॉ. ज्योतिस सत्यपालन ने पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हुए भारत में गरीबी, सामाजिक बहिष्करण और भेद्यता परिदृश्य पर एक व्याख्यान दिया।

5) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम - एमजीएनआरईजीएस: दोपहर के सत्र में, डॉ. ज्योतिस सत्यपालन ने मजदूरी रोजगार कार्यक्रम – एमजीनरेगा पर एक सत्र लिया, जो एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण योजना है । उन्होंने प्रतिभागियों के साथ एमजीएनआरईजीएस के एक दशक के अध्ययन के अपने अनुभव को साझा किया ।

6) स्व-रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम (एनआरएलएम, डीडीयू-जीकेवाई): उसी दिन, एनआरएलएम में काम करने वाले मिशन मैनेजर श्री ए नागराज राव ने एनआरएलएम और डीडीयू-जीकेवाई पर एक व्याख्यान दिया।

दिन 3: 21 मार्च, 2019

7) आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम (पीएमएवाई-ग्रामीण, पीएमजीएसवाई, पेयजल और स्वच्छता): दिन ३ के सुबह के सत्र में आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम (पीएमएवाई-ग्रामीण, पीएमजीएसवाई, पेयजल और स्वच्छता) के विषय पर डॉ. श्रीनिवास सज्जा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र ने बात की।

8) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएपी, पीडीएस, आईसीडीएस): दिन ३ के सत्र के साथ डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (प्रभारी), सीईएसडी ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएपी, पीडीएस, आईसीडीएस) पर एक व्याख्यान दिया।

9) सामाजिक जवाबदेही तंत्र पर देशीय प्रस्तुतियाँ: दोपहर में, प्रतिभागियों द्वारा शेष देशीय प्रस्तुतियों को कवर किया गया था ।

मॉड्यूल- II: पारदर्शिता और जवाबदेही उपाय

दिन 4: 22 मार्च 2019

10) क्षेत्र विकास कार्यक्रम (वाटरशेड, पीएमकेएसवाई): सुबह के सत्र में डॉ. यू. हेमंत कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आजीविका केंद्र ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर एक व्याख्यान दिया।

11) भारत में विकास के अधिकार आधारित दृष्टिकोण, अधिकार आधारित विधान (मनरेगा, एनएफएसए, आरटीई, एफआरए): सुबह सत्र के बाद श्री. करुणा एम, वरिष्ठ सलाहकार, सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र ने भारत में विकास के अधिकार आधारित अधिकार, अधिकार आधारित विधान (मनरेगा, एनएफएसए, आरटीई, एफआरए) पर सत्र का संचालन किया ।

12) आरटीआई- पारदर्शिता और जवाबदेही उपाय का साधन: यह सत्र श्री राकेश डब्बू द्वारा कवर किया गया था, जो एनसीपीआरआई में संकाय के लिए संपादकीय के रूप में काम करते हैं ।

13) जवाबदेही के संस्थान - सार्वजनिक सेवा अधिनियमों का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, मुखबिर संरक्षण, लोकपाल और अन्य जवाबदेही उपाय : श्री श्रीनिवास माधव, एपी सूचना आयोग के सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे, जो सत्र के लिए अतिथि संकाय थे और उन्होंने जवाबदेही के संस्थानों पर एक व्याख्यान दिया ।

मॉड्यूल - III: सामाजिक जवाबदेही तंत्र और सामाजिक लेखा परीक्षा

दिन 5: 23 मार्च 2019

14) स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ और पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने में उनकी भूमिका: : 5 वें दिन, स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाने में उनकी भूमिका पर डॉ. राजेश कुमार सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, सीआरटीसीएन ने एक सत्र संचालन किया।

15) सामाजिक जवाबदेही: उपकरण और तकनीक: 5 वें दिन सुबह के सत्र में सामाजिक जवाबदेहिता: उपकरण और तकनीक के विषय पर डॉ. श्रीनिवास सज्जा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र ने बात की।

16) लेखापरीक्षा मानक और लेखापरीक्षा योजना नियम 2011: इस सत्र में श्री. करुणा एम, वरिष्ठ सलाहकार, सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र ने चर्चा की। इस सत्र में सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई।

दिन 6: 24 मार्च, 2019:
गोलकुंडा किले का स्थानीय दौरा

मॉड्यूल - IV: सामाजिक लेखापरीक्षा को समझने के लिए क्षेत्र दौरा

दिन 7 से दिन 9: 25 मार्च 2019 से 27 मार्च 2019

क्षेत्र दौरे में शामिल विषय

· सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन में एसएसएएटी के अनुभव को साझा करना, एसएसएएटी कार्यालय का दौरा करना और निदेशक, एसएसएएटी के साथ बातचीत करना

· सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अवलोकन करने के लिए क्षेत्र दौरा (वीएसए का चयन और प्रशिक्षण)

· सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया अवलोकन करने के लिए क्षेत्र दौरा (दस्तावेज़ सत्यापन, भौतिक सत्यापन और घर-घर का सत्यापन)

· सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा और जनसुनवाई का अवलोकन करने के लिए क्षेत्र दौरा

क्षेत्र दौरे - सामाजिक लेखापरीक्षा की व्यावहारिक प्रदर्शन दौरे निम्न स्थानों पर आयोजित की गईं:

i) आंध्र प्रदेश - ग्रामीण विकास आयोग, विजयवाड़ा:

प्रतिभागियों को 25 मार्च, 2019 को एपी-सीआरडीए, विजयवाड़ा ले जाया गया। श्री रंजीत बाशा, आईएएस, आयुक्त पंचायत राज और ग्रामीण विकास ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और एमजीएनआरईजीएस के प्रभावी कार्यान्वयन में एपी-सीआरडी द्वारा निभाई गई भूमिका को समझाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में नरेगा के कार्यों और एपी सरकार द्वारा किए गए सामाजिक जवाबदेही उपायों के बारे में जानकारी दी।

श्री रंजीत बाशा, आईएएस, आयुक्त, आरडी, के साथ सीआरडीए, विजयवाड़ा में बैठक

ii) सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया:

क) चेबरोलू एमपीडीओ कार्यालय:

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, चेबरोलू

25 मार्च, 2019 को प्रतिभागियों को चेबरोलू एमपीडीओ कार्यालय ले जाया गया। कार्यालय परिसर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को शिक्षा के भाग के रूप में बनाया गया था, एनएडीईपी खाद गड्ढे के उपयोग और सामाजिक लेखापरीक्षा के समय देखे जाने वाले मापदंडों को भी प्रतिभागियों को समझाया गया। बाद में, प्रतिभागियों को बागवानी रोपण कार्य दिखाया गया।

ख) लिंगमगुंटला ग्राम पंचायत, पेदाकुरापुडु मंडल:

26 मार्च, 2019 को प्रतिभागियों को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायत लिंगमगुंटला ले जाया गया। प्रतिभागियों ने जीपी के वीआरपी / वीएसए, डीआरपी के साथ बातचीत की और उन्होंने जीपी स्तर की प्रक्रियाओं के बारे में बताया अर्थात् अभिलेख / दस्तावेज समेकन, घर-घर सत्यापन और कार्य स्थल सत्यापन। चुनाव संहिता के कारण, आंध्र प्रदेश में ग्राम सभा और जन सुनवाई नहीं हुई।

iii) आंध्र प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी (एपीएसएसएएटी), गुंटूर:

26 मार्च, 2019 को, क्षेत्र में व्यावहारिक प्रदर्शन के

प्रतिभागियों को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को समझाना - 1) जीपी स्तर की जानकारी, 2) घर-घर सत्यापन

बाद, प्रतिभागियों को सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट सेटअप की अधिक विस्तार से समझ के लिए ए पी एस एस ए ए टी कार्यालय में ले जाया गया और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया पर श्री जी. श्रीकांत, निदेशक, एपीएसएसएएटी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।

एपीएसएसएएटी के सामाजिक लेखापरीक्षा के निदेशक सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पर प्रस्तुति देते हुए

iv) दुग्गीराला कृषि बाजार समिति (एएमसी) एग्री-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम (एटीआईएफ) के साथ ई-एनएएम - हल्दी ट्रेडिंग यार्ड:

एपीएसएसएएटी में बैठक के पूरा होने के तुरंत बाद, प्रतिभागियों ने दुग्गीराला कृषि बाजार समिति का दौरा किया। यहां, बाजार प्रणाली का अनुसरण

दुग्गीराला एएमसी में सिर्डाप प्रतिभागी

ई-नाम (ई-ट्रेडिंग राष्ट्रीय कृषि विपणन) है, जो एक ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। यहां, प्रतिभागियों को पारदर्शिता तंत्र से परिचित कराया गया, एएमसी के परिणामस्वरूप, जहां एक किसान व्यापारी को सीधे अपने उत्पाद बेच सकता है।

v) एपीएचआरडीआई: आंध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान, बापटला:

26 मार्च, 2019 को प्रतिभागियों को श्री डी चक्रपाणि, आईएएस (सेवानिवृत्त), महानिदेशक, एपीएचआरडीआई और एपीएचआरडीआई के कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए ले जाया गया। प्रतिभागियों ने अपने देश के अनुभवों को साझा किया और कर्मचारियों और प्रशिक्षु एईई द्वारा प्रस्तुत किए गए संदेह को स्पष्ट किया। म्यांमार के प्रतिभागियों ने कर्मचारियों के साथ अपने देश की प्रस्तुति दी।

दिन 10: 28 मार्च, 2019

डी चक्रपाणि, आईएएस (सेवानिवृत्त) महानिदेशक-एपीएचआरडीआई, सिर्डाप के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

क्षेत्र दौरा रिपोर्ट और मूल्यांकन की प्रस्तुति: प्रतिभागियों ने उनके क्षेत्र के प्रदर्शन दौरे के अध्ययनों को प्रस्तुत किया और इसके बाद डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्री तेविता जी. बोसीवाका टैगिनवलाउ, महानिदेशक, सिर्डाप ने मूल्यांकन तथा समापन किया।

विकास विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण पध्द्ति पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप-महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति में बाएं से चौथे), डॉ. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएचआरडी (पहली पंक्ति में दाएं से चौथे), डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीईएसडी (पहली पंक्ति में बाएं से दूसरे), डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी (पहली पंक्ति बाएं से तीसरे), डॉ सोनल मोबार रॉय, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस (पहली पंक्ति में दाईं ओर से तीसरे)

मानव संसाधन विकास केंद्र ने 21 जनवरी से 17 फरवरी, 2019 तक विकास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पद्धति पर चार सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए भारतीय अनुभवों के विशेष संदर्भ में विकास पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दृष्टिकोण और रणनीतियों में रुझान को बताना; विभिन्न प्रशिक्षण विधियों और उपादानों का उपयोग करना; प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना; और प्रशिक्षण के तरीकों के उपयोग में प्रयासों और अनुभवों का बयान करना था।

प्रतिभागियों का स्वागत सीएचआरडी के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. पी. शिवराम ने किया । इसके अलावा, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए निर्णय लेने में जमीनी स्तर के मुद्दों को निपटाने के व्यावहारिक अनुभवों के महत्व पर जोर दिया। इसलिए, विकास क्षेत्रों में काम करने वाले सभी अधिकारियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क आवश्यक है । उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में एक मॉड्यूल के रूप में आवंटित क्षेत्र अध्ययन दौरे के महत्व पर प्रकाश डाला गया है । उप महानिदेशक ने एक प्रशासक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के अपने अनुभवों को भी साझा किया है । उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी समझाया कि लोगों की समस्याओं को समझने के लिए अनुभवों / कहानियों को एक शक्तिशाली उपकरण (प्रशिक्षण पद्धति) के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ।

उद्देश्य और प्रतिभागियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक कार्यक्रम की रूपरेखा बनायीं गई थी और पाठ्यक्रम की सामग्री को भी उद्देश्य और जरूरतों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था । पठन सामग्री के रूप में संबंधित पाठ्यक्रम सामग्री तैयार की गई और प्रतिभागियों को दी गई। कार्यक्रम के पूरे सत्र को चार मॉड्यूल में विभाजित किया गया था और प्रत्येक मॉड्यूल एक सप्ताह की अवधि का था । मॉड्यूल निम्नानुसार हैं:

- प्रशिक्षण दृष्टिकोण और रुझान
- प्रशिक्षण और विकास
- प्रशिक्षण पद्धति
- प्रदर्शन-सह-अध्ययन दौरे

कुल मिलाकर, 14 देशों से 24 प्रतिभागियों (अफ़गनिस्तान -1, अल्जीरिया -1, इंडोनेशिया -1, इराक -4, केन्या -3, मलावी -1, मॉरिशस -1, दक्षिण सूडान -2, श्रीलंका -1, तंजानिया -1, ज़ाम्बिया -1 और ज़िम्बाब्वे -2) ने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया। आइस-ब्रेकिंग सत्र के दौरान प्रतिभागी एक दूसरे से परिचित होते हैं । कार्यक्रम से प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ भी मांगी गई थीं और बाद में कार्यक्रम की समय-सारिणी के साथ इसका मिलान किया गया । सभी प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर के परिवेश और इसकी सुविधाओं से परिचित करने हेतु सैर कराया गया ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार्यक्रम में तीन मॉड्यूल शामिल थे, जिसके बाद कर्नाटक में एक सप्ताह तक अध्ययन दौरा किया गया । एनआईआरडीपीआर के संकाय द्वारा पहले तीन मॉड्यूल के प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया गया । हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण सत्रों के संचालन के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (नार्म), हैदराबाद, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद, डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान तेलंगाना, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, के कुछ राष्ट्रीय स्तर के स्रोत व्यक्तियों को और पूर्व प्रोफेसरों को भी आमंत्रित किया गया था ।

कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्रतिभागियों को भारत में सफल ग्रामीण शिक्षाओं और शीर्ष स्तर के संस्थानों जो प्रशिक्षुओं के बीच ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न पद्धति का उपयोग कर रहे हैं से परिचित कराने के लिए एक अध्ययन दौरे पर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु और मैसूरु ले जाया गया । अध्ययन दौरे के दौरान निम्नलिखित संस्थानों का दौरा किया गया:

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र (ए टी आई सी), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर:
प्रतिभागियों ने ए टी आई सी के संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत की और सीखा कि कैसे केंद्र प्रभावी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आजीविका सुधार के लिए किसानों और विषय विशेषज्ञों के बीच आशावादी बातचीत के लिए एक मंच बना रहा है ।

किसान प्रशिक्षण संस्थान (एफ टी आई), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर:
एफ टी आई का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए कृषि और संबद्ध विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है । संस्थान के स्रोत व्यक्तियों ने F T I की गतिविधियों और कार्यों के बारे में प्रस्तुतियाँ दीं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भागीदारी प्रशिक्षण पद्धति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसका उपयोग वे किसानों को प्रशिक्षण देने में कर रहे हैं । यह सत्र प्रतिभागियों के लिए बहुत उपयोगी था ।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) , बैंगलोर:
प्रतिभागियों को भारत में प्रबंधन संस्थानों की गुणवत्ता से परिचित कराने के लिए आई आई एम, बेंगलुरु भी ले जाया गया, जो शिक्षण और प्रशिक्षण की पद्धति के रूप में 'केस' का उपयोग करते हैं । आई आई एम अधिकारियों ने प्रतिभागियों का स्वागत किया । आई आई एम - बैंगलोर की संकाय डॉ. रितु त्रिपाठी ने इस बात पर एक सत्र लिया कि किसी भी विशिष्ट विषय पर प्रशिक्षण / शिक्षण के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में 'केस' का उपयोग कैसे किया जा सकता है । उन्होंने 'संस्कृति में लोगों को प्रबंधित करने' पर एक सुंदर मामला प्रस्तुत किया । प्रस्तुति बहुत उपयुक्त थी क्योंकि प्रतिभागी विभिन्न संस्कृतियों से थे इसलिए वे इससे बहुत आसानी से जुड़ सकते थे ।

आईआईएम, बेंगलुरु में प्रतिभागी

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), बेंगलुरु:
5 फरवरी को, प्रतिभागियों को संगठन द्वारा महिला और बाल विकास के क्षेत्र में पूरे किए गए प्रशिक्षण और अनुसंधान के बारे में जानने के लिए एन आई पी सी सी डी, बैंगलोर ले जाया गया । संस्थान के निदेशक ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और एन आई पी सी सी डी पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों ने बाल और महिला विकास के कार्यक्रमों और महिला एवं बाल मुद्दों पर जमीनी स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया / दिया जाता है के बारे में सीखा । प्रतिभागियों ने आईसीडीएस योजना (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता), और दर्पण पोर्टल के बारे में भी जाना ।

एन आई पी सी सी डी, बेंगलुरु में प्रतिभागी

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडिसेटी), बेंगलुरु ग्रामीण:
प्रतिभागियों को रूडिसेटी के मॉडल के स्वरुप को दर्शाने के लिए ले जाया गया, जो रूडिसेटी में कठोर प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की पहचान करने, प्रेरित करने, प्रशिक्षण देने और स्व-रोजगार के लिए सुविधा प्रदान करने का एक अनूठा मॉडल है । उन्होंने इस संस्थान के प्रारंभ और इसके कार्य करने के तरीके को सीखा। प्रतिभागियों ने उन प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, जो संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे थे ।

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडिसेटी), मैसूर: प्रतिभागियों को बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को उनकी उद्यमशीलता शुरू करने के लिए सक्षम बनाने के एक और बेहद सफल मॉडल के स्वरुप को दर्शाने के लिए मैसूर स्थित रूडिसेटी ले जाया गया । प्रतिभागियों ने सीखा कि संस्थान दो प्रकार के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है: प्रतिभागियों ने सीखा कि संस्थान दो प्रकार के बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है: उद्यमियों की पहली पीढ़ी जो उद्यमी में स्वयं कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उद्यमिता में उतरने से पहले कौशल और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए कौशल उन्नयन जो पहले से ही उद्यमी हैं, लेकिन विशेषज्ञता के अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अपने कौशल में सुधार करना चाहते हैं । प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण के तरीके के रूप में व्याख्यान, अनुकरणीय खेल, व्यवहारिक व क्रियाशील अनुभव और समूह चर्चा का उपयोग कैसे करें की प्रक्रिया पर प्रतिभागियों को भी प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर प्रदान किया गया ।

रूडिसेटी, मैसूर में प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत

अब्दुल नज़ीर साब राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, मैसूर:
प्रतिभागियों को एएनएसएसआईआरडी एवं पीआर, मैसूर ले जाया गया, ताकि उन्हें ग्रामीण विकास में एसआईआरडी के कार्यों, गतिविधियों और योगदान को समझने का अवसर प्रदान किया जा सके । डॉ शोभा नाग, आईएएस, निदेशक, एएनएसएसआईआरडी एवं पीआर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और विस्तार से उन लोगों के साथ बातचीत की। संस्थान के उप निदेशक डॉ. गणेश प्रसाद ने प्रतिभागियों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र के बाद एएनएसएसआईआरडी एवं पीआर के कामकाज और गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी । प्रतिभागियों को संस्थान के भीतर स्थित उपग्रह-आधारित स्टूडियो को देखने का भी अवसर मिला, जिसका व्यापक स्तर पर जमीनी स्तर के अधिकारियों को लाइव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग किया जाता है । यह प्रतिभागियों के लिए एक अनूठा अनुभव था ।

एएनएसएसआईआरडी एवं पीआर में प्रतिभागी

कटरी ग्राम पंचायत, मैसूर: प्रतिभागियों को मैसूर के कटेरी ग्राम पंचायत में ले जाया गया । ग्राम पंचायत के सदस्यों और निवासियों द्वारा उनका स्वागत किया गया । पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत के कार्यों और गतिविधियों को ग्राम पंचायत के कार्यालय लेखाकारों द्वारा समझाया गया था । ग्राम पंचायत की अपनी रणनीतिक विकास योजना है जिसे प्रतिभागियों के साथ साझा किया गया था । प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उसके सदस्यों के लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया के बारे में भी जाना। ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए, उन्हें विभिन्न समितियों के बारे में पता चला, जो ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए जवाबदेह हैं । प्रतिभागियों को गाँव की शासन भूमिका को जानने का अवसर मिला। बाद में, पंचायत सदस्यों ने प्रतिभागियों को गाँव की सैर करायी। प्रतिभागियों ने उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के साथ भी बातचीत की, जबकि छात्रों को मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा था । अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने मध्याह्न भोजन का स्वाद चखा और भोजन की गुणवत्ता की सराहना की।

कटरी ग्राम पंचायत, मैसूर का दौरा

इसके अलावा, प्रतिभागियों ने विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय बैंगलोर, कृषि विज्ञान संग्रहालय बैंगलोर, मैसूर पैलेस, गोपाल स्वामी मंदिर, नदी कावेरी, मैसूर, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, और शिल्परामम – हैदराबाद में हस्तशिल्प का एक स्थान का भी दौरा किया । क्षेत्र दौरे के बाद, प्रतिभागियों को अध्ययन दौरे के दौरान उपार्जित शिक्षा पर प्रस्तुति देने के लिए कहा गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 फरवरी, 2018 को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन सत्र को श्री. दिनकर अस्थाना, आईएएस, अपर सचिव (डीपीए-।।) और डॉ. देवयानी खोबरागड़े, आईएएस, संयुक्त सचिव, आईटीईसी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने संबोधित किया । डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उनके सफल समापन की मान्यता में प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र के वितरण के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ।

कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र, डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समता और सामाजिक विकास केंद्र, और डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने किया ।

सीजीसी -वैशाली में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनः प्रारम्भ करना

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (बाएं से तीसरे), श्री. राम सिंह, सीईओ, कपार्ट (बाएं से 4 थें), श्री. जितेंद्र कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक, जीविका (बाएं से 5 वें), श्री. यू.के. शर्मा, निदेशक , वीएएसएफए (एनजीओ) (बाएं से 6 वें), डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सी आई ए टी (बाएं से दूसरे), श्री. मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सी आई ए टी (बाएं से पहले) सीजीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनः संयोजन करते हुए

1984 में स्थापित, परामर्श-सह-शिक्षा केंद्र (सीजीसी), वैशाली, बिहार, कपार्ट की एक इकाई, नई दिल्ली, उत्तरी बिहार के ग्रामीण जन के लिए आजीविका कौशल और क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाला अग्रणी प्रशिक्षण केंद्र है । केंद्र का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण की सुविधा थी, और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और उद्यमशीलता प्रोत्साहन प्रदान करना था । सीजीसी की अपनी प्रतिष्ठा थी कि कई आईएएस प्रशिक्षु केंद्र का दौरा करते थे और गांव के संपर्क में रहते थे । सीजीसी ने 2010-11 तक सफलतापूर्वक विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया था और उचित सफलता की गति के साथ पूरे बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया था ।

डॉ. डब्ल्युआररेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने 2016 में संकाय सदस्यों के साथ व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सीजीसी का दौरा किया और नवीकरण से संबंधित हर पहलू में ग्रामीण विकास के लिए इस केंद्र का निष्कर्ष जाना और सीजीसी को पूर्वरूप में लाने का निर्णय लिया और उसके खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए जल्द से जल्द प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की । कपार्ट, नई दिल्ली के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और एनआईआरडीपीआर की सिफारिश के आधार पर श्री संजीव कुमार, आईएएस, महानिदेशक, कपार्ट ने सीजीसी, वैशाली का दौरा किया और एनआईआरडीपीआर की सहायता से सीजीसी भवन के नवीनीकरण का निर्णय लिया ।

15 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में कपार्ट कार्यालय में डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्री संजीव कुमार, आईएएस, महानिदेशक, कपार्ट की उपस्थिति में एनआईआरडीपीआर और कपार्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रशिक्षण शुरू करने पर सहमति हुई । इस चुनौती को स्वीकार करते हुए, एनआईआरडीपीआर की टीम ने सीजीसी कर्मचारियों की मदद से चरण -1 कार्य (प्रशिक्षण केंद्र का नवीनीकरण और प्रशिक्षुओं को एकजुट करना) शुरू किया । संभावित प्रशिक्षुओं की पहचान और संगठन वी ए एस एफ ए (एनजीओ) और जीविका के समन्वय से बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में किया गया था । लगभग 200 प्रशिक्षुओं को तीन व्यवसायों में अर्थात्, कंप्यूटर अनुप्रयोग, सिलाई और परिधान डिजाइन और सौर उत्पाद जोड़ना में प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया ।

पहला बैच 28 मार्च, 2019 को सीजीसी, वैशाली में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के औपचारिक शुभारंभ के दिन शुरू किया गया था । प्रत्येक बैच में 30 प्रशिक्षु शामिल थे । मास्टर प्रशिक्षकों में आरसेटी, बिहार से पेशेवर प्रशिक्षक और आरटीपी, एनआईआरडीपीआर से एक सोलार प्रशिक्षक शामिल किया गया ।

डॉ. डब्ल्यु.आर रेड्डी, डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी, श्री. राम सिंह, सीईओ, कपार्ट, श्री जितेन्द्र कुमार, राज्य परियोजना प्रबंधक, जीविका, श्री. मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी और श्री. यू.के. शर्मा, निदेशक, वी ए एस एफ ए (एनजीओ), की उपस्थिति में आरटीपी, एनआईआरडीपीआर ने 28 मार्च, 2019 को सीजीसी, वैशाली में तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया । इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने प्रशिक्षण पुस्तिका का विमोचन भी किया । अपने विचारों को साझा करते हुए, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने इच्छा जाहिर की कि सीजीसी, वैशाली उत्तर भारत में मॉडल और नोडल कौशल विकास और क्षमता निर्माण केंद्र हो ।

इस अवसर पर, सभी गणमान्य लोगों द्वारा पौधे लगाए गए । बिहार राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रशिक्षुओं और स्थानीय लोगों को भी ग्रामीण युवाओं में जागरूकता पैदा करने और मौखिक रूप से जानकारी प्रचारित करने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

प्रशिक्षण का वैध समारोह 13 अप्रैल, 2019 को श्री राम सिंह, सीईओ, कपार्ट, श्री संतोष कुमार सोनू, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, बिहार और श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ सलाहकार, सीआईएटी, एनआईआरडीपीआर की उपस्थिति में आयोजित किया गया ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आंतरिक लेखापरीक्षा पर टीओटी

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आंतरिक लेखापरीक्षा पर टीओटी के चल रहा प्रशिक्षण सत्र

सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र (सीएसए) ने 22 अप्रैल, 2019 से 11 मई 2019 के दौरान एनआईआरडीपीआर में 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आंतरिक लेखापरीक्षा पर त्रि-साप्ताहिक प्रमाणपत्र' का 21-दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया। पांच राज्यों (असम, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना) से एसआईआरडी का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल १५ प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम पूरा किया।

कार्यक्रम की टीम में डॉ. श्रीनिवास सज्जा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र और डॉ. सी. धीरजा, प्रोफेसर, सामाजिक लेखापरीक्षा केंद्र शामिल थे।

इस पाठ्यक्रम के चार मॉड्यूल थे :

1. आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचय: मूलभूत अवधारणाओं और जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के तरीकों को समझना

2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अवलोकन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के अनुप्रयोग

3. एमओआरडी और जीआरआईपी के आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल को समझना

4. आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रक्रिया

उपरोक्त मॉड्यूल से, 16 कक्षा सत्र और दो प्रयोगशाला सत्र आयोजित किए गए थे जो एनआईआरडीपीआर द्वारा आतंरिक संकाय सदस्यों और विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गए थे।

कार्यप्रणाली:

कार्यक्रम के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों, प्रतिभागियों की अवधि और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया था

1) व्याख्यान और बातचीत सत्र (पीपीटी)
2) समूह कार्य
3) क्षेत्र दौरा

कक्षा सत्र

1. मॉड्यूल - I: आंतरिक लेखा परीक्षा का परिचय: मूलभूत अवधारणाओं और जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के तरीकों को समझना

दिन 1: 22 अप्रैल, 2019

1) आंतरिक लेखापरीक्षा की मूल अवधारणा: परिभाषा, भूमिका, आचार संहिता, आदि, आंतरिक लेखा परीक्षा मानकों / दिशानिर्देशों, नियंत्रण पर्यावरण और आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन का परिचय और जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी जोखिम जागरूकता का परिचय। दोपहर के सभी सत्र श्री. निखिल कोचर, निदेशक, आंतरिक लेखा परीक्षक (आईआईए) ने संचालन किया।

दिन 2: 23 अप्रैल 2019

एमओआरडी के सचिव श्री अमरजीत सिन्हा ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा के महत्व पर प्रस्तुति दी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीओटी के प्रतिभागियों के साथ संक्षिप्त में बातचीत की।

2) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन- योजना और निष्पादन प्रक्रिया। दोपहर के सत्र में श्री निखिल कोचर ने इस सत्र का संचालन किया।

3) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का आयोजन- लेखापरीक्षा उपकरण और तकनीक और लेखापरीक्षा उपकरणों / तकनीकों का उपयोग करने के प्रयोग पर क्रमशः श्री. कल्लोल भट्टाचार्य और श्री. टी. मेनन ने सुबह और दोपहर के सत्र का संचालन किया।

2. मॉड्यूल - II ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अवलोकन और आर डी कार्यक्रमों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का आवेदन ।

दिन 3: 24 अप्रैल, 2019

4) मामला अध्ययन और अभ्यास रिपोर्ट लेखन: इस सुबह के सत्रों को श्री कल्लोल भट्टाचार्य द्वारा सम्बोधित किया गया।

5) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अवलोकन: तीसरे दिन के निम्नलिखित सत्र, डॉ. एस. वी. रंगाचार्युलु, प्रोफेसर और प्रमुख (सेवानिवृत्त), सीडब्ल्युई, एनआईआरडीपीआर ने 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अवलोकन' पर एक व्याख्यान दिया।

6) एमजीनरेगा का सामान्य अवलोकन, एमजी नरेगा का आंतरिक नियंत्रण और जोखिम मूल्यांकन का परिचय, ग्रामीण विकास योजनाओं के जोखिम / मैट्रिक्स रजिस्टर और पहचान किए गए जोखिमों को कम करने के लिए एमजी नरेगा का आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन – डॉ. ज्योतिस एस, प्रोफेसर और प्रमुख, सीडब्ल्युई द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया।

3. मॉड्यूल -III:

एमओआरडी और जीआरआईपी के आंतरिक ऑडिट मैनुअल को समझना

दिन 4: 25 अप्रैल, 2019

7) ग्रामीण विकास के लिए जोखिम मैट्रिक्स / रजिस्टर और जोखिम प्रबंधन की तैयारी कार्यक्रम, एमओआरडी के आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल का परिचय और उपयोग के लिए मार्गदर्शन, ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल (जीआरआईपी) - लैब सत्र का उपयोग करके एमओआरडी की पिछली आईए रिपोर्ट की समीक्षा: पूरे दिन के सत्र एमओआरडी से श्री विजय चौधरी द्वारा लिया गया।

दिन 5: 26 अप्रैल, 2019

8) पीएमएवाई-जी का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और जोखिम मूल्यांकन पीएमएवाई-जी और ग्रामीण विकास योजनाओं का जोखिम मैट्रिक्स / जोखिम रजिस्टर और पहचान किए गए जोखिम को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन - पीएमएवाई-जी डॉ. श्रीनिवास सज्जन, सहायक प्रोफेसर, सीएसए द्वारा लिया गया।

9) एसएजीवाई का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और एसएजीवाई के लिए जोखिम मूल्यांकन और आरडी योजनाओं का जोखिम मैट्रिक्स / जोखिम रजिस्टर और पहचान किए गए जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन – एसएजीवाई को डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और प्रमुख, सीजीजीपीए द्वारा किया गया।

दिन 6: 27 अप्रैल, 2019

श्री संजीव कुमार, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओआरडी एक सत्र को लेते हुए

10) एनआरएलएम का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और एनआरएलएम के लिए जोखिम मूल्यांकन मैट्रिक्स, ग्रामीण विकास योजनाओं का जोखिम मैट्रिक्स / जोखिम रजिस्टर और पहचान किए गए जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन - एनआरएलएम श्री वेंकेश्वरा राव, एनआरएलएम द्वारा लिया गया।

11) पीएमजीएसवाई का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और पीएमजीएसवाई जोखिम मैट्रिक्स के लिए जोखिम मूल्यांकन और आरडी योजनाओं का जोखिम रजिस्टर तथा पहचान किए गए जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन - सुश्री जी शशि रेखा, पीएमजीएसवाई द्वारा लिया गया।

दिन 8: 29 अप्रैल, 2019

12) एनएसएपी का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और एनएसएपी जोखिम मैट्रिक्स के लिए जोखिम मूल्यांकन, ग्रामीण विकास योजनाओं का जोखिम मैट्रिक्स / जोखिम रजिस्टर और पहचान किए गए जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन - श्री करुणा एम., वरिष्ठ परामर्शदाता, सीएसए, एन.एस.ए.पी. द्वारा लिया गया।

13) डीडीयू-जीकेवाई का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और डीडीयू-जीकेवाई जोखिम मैट्रिक्स के लिए जोखिम मूल्यांकन और जोखिम मैट्रिक्स / आरडी योजनाओं का जोखिम रजिस्टर और पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन - डीडीयू-जीकेवाई श्री के. पद्मनाभ राव, डीडीयू-जीकेवाई द्वारा लिया गया।

दिन 9: 30 अप्रैल, 2019

14) एनआरयूएम का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और एनआरयूएम के लिए जोखिम मूल्यांकन और ग्रामीण विकास योजनाओं का जोखिम मैट्रिक्स / जोखिम रजिस्टर और पहचान किए गए जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन – एनआरयूएम डॉ. श्रीनिवास सज्जन, सीएसए द्वारा लिया गया।

15) पीएमकेएसवाई का सामान्य अवलोकन, आंतरिक नियंत्रण का परिचय और पीएमकेएसवाई के लिए जोखिम मूल्यांकन और ग्रामीण विकास योजनाओं का जोखिम मैट्रिक्स / जोखिम रजिस्टर और पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन - पीएमकेएसवाई: डॉ. यू. एच. कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएफएल द्वारा लिया गया।

दिन 10: 01 मई, 2019

16) पश्च लेखापरीक्षा समीक्षा मैकेनिज्म और लेखापरीक्षा एजेंसी के साथ विचार-विमर्श, लेखापरीक्षा एजेंसी के साथ पश्च लेखापरीक्षा समीक्षा मैकेनिज्म और विचार विमर्श - पीवीएसवी कुमार, सीएजी-आरटीआई द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों का मामला अध्ययन और निगरानी अनुपालन लिया गया।

17) आन्ध्रप्रदेश में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य आयोजित करने पर केस मामला : श्री जी. श्रीकांत, निदेशक, एपीएसएसएएटी लिया गया।

4. मॉड्यूल V:

आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की प्रक्रिया

दिन 11 से दिन 18:

02 से 09 मई, 2019 दौरान क्षेत्र दौरा।

दिन 19 और 20: 10.05.2019 से 11.05.2019 तक समूह प्रस्तुतियाँ और समापन सत्र

कार्यक्रम के अंतिम दिन (20 मई, 2019), अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमओआरडी श्री संजीव कुमार के साथ सीसीए, एमओआरडी श्री अजय सिंह ने प्रतिभागियों का क्षेत्र दौरा रिपोर्ट का मूल्यांकन किया और प्रशिक्षणार्थियों को भागीदारी का प्रमाण पत्र दिया।

आवासीय विकास के विकेंद्रीकृत समाधान के लिए सहभागी स्वच्छता योजना

डॉ. एन. सी. नारायणन, संकाय, आईआईटी बॉम्बे ने 1 अप्रैल को 'विकेंद्रीकृत समाधान के लिए भागीदारी स्वच्छता योजना' पर व्याख्यान देते हुए

आवास विकास में विकेंद्रीकृत समाधान हेतु 'भागीदारी स्वच्छता की योजना पर एक कार्यशाला' 1 अप्रैल, 2019 को 'जलवायु परिवर्तनशील आवास प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित की गई ।' प्रशिक्षण कार्यक्रम नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर) , हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया ।

सत्र का संचालन डॉ. एन. सी. नारायणन, संकाय, आईआईटी, बॉम्बे द्वारा किया गया ।

डॉ. एन. सी. नारायणन ने भारत के स्वच्छता संकट के बारे में बात करते हुए सत्र की शुरुआत की । उन्होंने कहा कि भारत का पानी तीन क्षेत्रों, अर्थात् उद्योगों, सिंचाई और घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है । हालांकि यह घरेलू क्षेत्र है जो अधिक पानी का उपयोग करता है, यह उद्योग क्षेत्र है जो इसे अधिक प्रदूषित करता है । उद्योग केवल 10 प्रतिशत पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका 90 प्रतिशत प्रदूषण करते हैं । और इसलिए, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी का 80 प्रतिशत जल दूषित हो जाता है ।

भारत के इस स्वच्छता संकट को दूर करने के लिए, अध्यक्ष (स्पीकर) ने सुझाव दिया कि संभावित समाधान, अर्थात्, संस्थान में सीवेज उपचार योजना होना चाहिए । यह योजना केंद्रीकृत तकनीकी कल्पना का परिणाम होना चाहिए । हालांकि, यह निवेश, भूमि, ऊर्जा और प्रबंधन क्षमता पर अत्यधिक मांग है ।

स्पीकर ने भारत में स्वच्छता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए पारंपरिक केंद्रीकृत प्रणाली और उभरती विकेंद्रीकृत प्रणाली के बीच अंतर के बारे में बात की । केंद्रीकृत प्रणाली एक संसाधन-गहन प्रणाली है क्योंकि इसमें अधिक पूंजी, ऊर्जा और कौशल की आवश्यकता होती है । इसके अलावा, यह फ्लश और फर्गेट के सुविधा कारक के साथ अधिक कार्य करता है । पारंपरिक विधि में, पानी लंबी दूरी तय करता है, जो अंततः शहरों के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करता है ।

उभरती विकेंद्रीकृत प्रणाली में, पानी के उपचार को अपने स्रोतों के करीब प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के पानी के लिए अलग-अलग प्रवाह होना चाहिए - काला पानी और भुरा पानी । यह प्रणाली स्थानीय कौशल और सामग्रियों पर आधारित होनी चाहिए, जो इसे लागत प्रभावी बनाती है । विकेन्द्रीकृत प्रणाली एक संदर्भ रूप से अनुकूलित प्रणाली बन जाती है क्योंकि यह छोटे पैमाने पर और लचीली होती है । हालाँकि, व्यक्तिगत क्षमता निर्माण, स्थानीय क्षमता निर्माण, स्थानीय संस्थागत क्षमता निर्माण इत्यादि, इस प्रणाली को चालू करने के लिए आवश्यक हैं ।

डॉ. एन. सी. नारायणन ने केरल के अलाप्पुझा में कैनालपी नामक एक पहल के बारे में बताया । कैनालपी (कैनअलप्पुझा) अलप्पुझा के नागरिकों द्वारा शहर की नहरों को पुनः प्राप्त करने के लिए की गई एक पहल है । "नहरें नालियां नहीं हैं" की टैगलाइन के साथ, यह लोगों को अपने आसपास की देखभाल करने और समाज में बदलाव लाने के लिए स्वच्छ बनाए रखने और प्रेरित करने का प्रयास करता है ।

अलप्पुझा शहर वेम्बनाड झील और अरब सागर के बीच स्थित है । अलाप्पुझा की नहरों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों में से एक के रूप में कार्य किया । लेकिन दुर्भाग्य से, नहरों की विरासत सड़क परिवहन की शुरूआत के साथ दूर हो गई । अलप्पुझा के निवासियों ने विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए, इस आंदोलन का नेतृत्व करने का निर्णय लिया है ।

कैनालपी नागरिकों और स्थानीय हितधारकों के बारे में जागरूकता, संवेदनशीलता और गतिशीलता की दिशा में निरंतर प्रयास करता है । इसके लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के निरंतर कार्य करने तथा योगदान देने की आवश्यकता है । इस पहल के भाग के रूप में, डॉ. एन.सी. नारायणन ने, अलप्पुझा में शीतकालीन स्कूल और ग्रीष्मकालीन स्कूल चलाए । वर्ष 2017 में शीतकालीन स्कूल में, छात्रों को नालियों का नक्शा बनाने के लिए, डिस्चार्ज पॉइंट्स की पहचान कैसे करें, जीआईएस सिस्टम, घरेलू सर्वेक्षण के लिए पानी का नक्शा बनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया ।

वर्ष 2018 के ग्रीष्मकालीन स्कूल में, कुछ उद्देश्य नहरों के सिविल इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, घरों के लिए सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, घरों के लिए भुगतान (डब्ल्युटीपी) का अध्ययन करने की इच्छा, पीने के पानी के स्रोतों की पानी की गुणवत्ता का नक्शा बनाने और वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु पर्यावरणीय अध्ययन करने के लिए था।

आज, वे स्मार्ट टूल एडेड कम्युनिटी मैपिंग के माध्यम से ड्रेनेज नेटवर्क (लगभग 13 किमी) के मानचित्र बनाने में सक्षम हैं। पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट सेवाओं और प्रथाओं से संबंधित 85 से अधिक प्रभावित करने वाली वस्तुओं का एक डेटा भंडार भी बनाया है।

अंत में, कैनाल्पी अभियान वीडियो चलाया गया, जिसमें कैनाल्पी टीम, उसके निवासियों और अभियान के परिणाम के निरंतर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जीपीडीपी की तैयारी: एनआईआरडीपीआर संकाय का हाजीपल्ले और गंटलावेल्ली गांवों का दौरा

डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर और प्रमुख, सीएचआरडी (बाएं से दूसरे), डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई (दाएं से प्रथम) और डॉ. आकंक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीडीसी (बाएं से तीसरे) हाजीपल्ले गांव में सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह प्रत्येक पंचायत की एक वार्षिक योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जहाँ ग्रामीणों द्वारा धन के व्यय पर निर्णय लिया जाता है।

इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार सभी स्थानीय निकायों को संसाधन लिफाफे के बारे में बताती है और हर एक को अलग-अलग योजनाओं और योजना बनाने के तरीकों के बारे में सूचित किया जाएगा। एक बार जब एक योजना तैयार की जाती है, तब ग्राम सभा इसे पारित करती है।

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, "15 वें वित्त आयोग पुरस्कार ने ग्राम पंचायतों के अत्याधुनिक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए एक बड़ा अवसर पैदा किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा स्थानीय निकायों के अनुदान रिहाई और उपयोग के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश इस बात पर मुहर लगाते हैं कि ग्राम पंचायतों द्वारा एफएफसी अवार्ड के तहत खर्च करने से पहले राज्य के कानूनों के अनुसार उन्हें सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत बुनियादी सेवाओं के लिए उचित योजना तैयार की जानी है।

आर्थिक रूप से विकास और उनके साथ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने वाले सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी के लिए ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से अधिदिष्ट हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) व्यापक होनी चाहिए और समुदाय विशेषकर ग्राम सभा को शामिल करने वाली भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होगी, और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध २९ विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों / लाइन विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण होगी। अभिसरण इस तथ्य के मद्देनजर अधिक महत्व रखता है कि ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।" (स्रोत: https://www.panchayat.gov.in/gpdp)

जीपीडीपी की तैयारी के लिए जमीनी स्तर का अनुभव प्राप्त करने हेतु, एनआईआरडीपीआर संकाय की तीन सदस्यीय टीम में डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर और प्रमुख, सीआरआई, डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई और डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीडीसी शामिल हैं, जो 27 अप्रैल, 2019 को, तेलंगाना में महबूबनगर जिले के फारूकनगर मंडल के हाजीपल्ली और गंटलावेली के गांवों की एक दौरे पर गए, जहां पंचायती राज संस्थाओं के नए निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इस जनवरी को कार्यालय ग्रहण किया।

इस यात्रा की परिकल्पना डॉ. पी. शिवराम और एनआईआरडीपीआर के पूर्व संकाय डॉ. वाई. गंगी रेड्डी के प्रयासों को ताज़ा करने के लिए की गई, जिन्होंने गांव को समर्पित रुप से अपनाया और एक

ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के साथ एनआईआरडीपीआर संकाय

दशक से अधिक समय से ग्रामीणों को संगठित किया । यात्रा ने ग्रामीणों की मौजूदा आवश्यकताओं पर संकाय सदस्यों को अद्यतन किया, उन्हें नव निर्वाचित निकाय के साथ परिचित करवाया और साथ ही उन्हें अपनी स्थिति को उन्नत करने के लिए योजनाओं की रुपरेखा तैयार करने में उनकी मदद की ।

हाजीपल्ले गांव

हाजीपल्ली एक मॉडल गाँव है, जो फारुखनगर मंडल, महबूबनगर जिला, तेलंगाना राज्य, भारत में स्थित है । यह फारुखनगर ब्लॉक के 36 गांवों में से एक है । ग्राम पंचायत बनने से पहले, किशन नगर गाँव में हाजीपल्ले बसा हुआ था । यह गाँव बैंगलोर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम में 2.7 किमी की दूरी पर स्थित है और फारुकनगर से सड़क द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है । गाँव का निकटतम रेलवे स्टेशन शादनगर है जो 8.3 किमी दूर स्थित है । हालही के चुनाव में श्रीमती ई. मोनिका को ग्राम सरपंच के रूप में चुना गया । वह एक ईमानदार और एक स्मार्ट महिला है जो एक वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण पत्र रखती है । उन्होंने उस एजेंडे पर चुनाव जीता जिसमें शामिल है:

1. जून 2019 तक 20,000 पौधे लगाए जाएंगे
2. सीसी सड़कें बिछाई जाए
3. भूमिगत जल निकासी उपचार

इस गाँव में तेलंगाना सरकार के मिशन भागीरथ के तहत पर्याप्त कृष्णा नदी के पानी की आपूर्ति के साथ तीन ओवरहेड पानी के टैंक हैं ।

गाँव के निरीक्षण पर, संकाय ने पाया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जीपीडीपी पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए 15-20 सदस्यों ने स्वेच्छा से जीपीडीपी को समझने के लिए एक छोटे सत्र में भाग लेने के लिए एनआईआरडीपीआर में आने के लिए कहा । गाँव में आठ वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में एक सीसीटीवी कैमरा है, जो गाँव में खुले में शौच को समाप्त करने में सहायक है । गाँव में 15 कार्यात्मक एसएचजी हैं । ग्रामीण सब्जियों की खेती करते हैं और पास की मंडी में अपना माल बेचकर बागवानी का अभ्यास करते हैं ।

निम्न तालिका गाँव की जनसंख्या के बारे में सामान्य उपाय देती है :

गंटलावेल्ली गाँव

शादनगर से दूर, हालही के चुनावों में श्रीमती यादम्मा को ग्राम सरपंच के रूप में चुना गया था । दिलचस्प बात यह है कि आठ निर्वाचित सदस्यों में से वर्तमान पंचायत निकाय में सरपंच सहित चार महिलाएँ हैं । यह परिवर्तन और विकास को देखने के लिए एक उपयुक्त साइट बनाता है जो कि वर्तमान शासकीय निकाय की आने वाली पांच साल की अवधि में किया जा सकता है ।

विवरण	पुरुष	महिला	कुल
जनसंख्या	402	393	795
साक्षरता	341	382	723
पि.व.	285	270	555
अनु.जा.	117	123	240
अनु.ज.जा.	0	0	0

चुनाव के लिए उनके एजेंडे में शामिल हैं:

1. पीएमएवाई के तहत बेघरों के लिए 200 घरों का निर्माण
2. सीमेंट कंक्रीट सड़कें बिछाई जाएंगी
3. गाँव में दो ओवरहेड पानी के टैंक हैं । इसके अलावा, उन्होंने एक और ओवरहेड पानी की टंकी का निर्माण करने का वचन दिया
4. (i) वृद्ध (ii) विधवाओं और (iii) शारीरिक रूप से विकलांग को पेंशन
5. भूमिगत जल निकासी उपचार

एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) ने इस गाँव को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना के तहत 1 करोड़ रुपये दिए । उस संसाधन का उपयोग करते हुए, ग्रामीणों ने स्कूल भवन भोजन कक्ष, पशु अस्पताल और एक कब्रिस्तान का निर्माण किया । उनकी मुख्य खेती में धान, टमाटर, मक्का और सब्जियाँ शामिल हैं, जिन्हें वे शमशाबाद बाज़ार में बेचते हैं । इसके अलावा, 18 एसएचजी अपने सभी उत्पादों को बाजार से जोड़ने वाले गांव में कार्यात्मक हैं । गांव में 12 सीसीटीवी कैमरे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं ।

सभी संकाय सदस्यों ने अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की और पाया कि उन्हें भी जीपीडीपी प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें शीघ्र ही एनआईआरडीपीआर का दौरा करने के लिए स्वैच्छिक रुप से तैयार किया गया ।

इस यात्रा के नतीजे के रूप में, संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर लेने के बाद, संकाय सदस्य अपने गाँव के लिए जीपीडीपी विकसित करने में उन्हें सुविधा प्रदान करना चाहते हैं । यह भी कहा गया है कि यदि प्रत्येक संकाय पास के गांवों को अपना सकता है, तो अंतरराष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए यात्राएं आयोजित करना आसान होगा और साथ ही इन गांवों को एनआईआरडीपीआर सुविधा के संपर्क में लाने से उन्हें विकास की अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी ।

डॉ. आकाँक्षा शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (प्रभारी)
विकास प्रलेखन और संचार केंद्र
एनआईआरडीपीआर

एनआईआरडीपीआर में स्टारपार्ड, पश्चिम बंगाल के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति बाएं से चौथे), डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर और प्रमुख, सीएचआरडी (पहली पंक्ति बाएं से पांचवे), डॉ. लाखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी (पहली पंक्ति बाईं ओर से तीसरे) प्रतिभागियों के साथ

स्टारपार्ड, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध के अनुसार, टीओटी कार्यक्रम के तहत 25-29 मार्च, 2019 तक एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में स्टारपार्ड, पश्चिम बंगाल के प्रशिक्षकों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण समन्वयन और नेटवर्किंग केन्द्र (सीआरसीटीएन), एनआईआरडीपीआर ने 'प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल और प्रशिक्षण डिजाइन' पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रशिक्षण डिजाइन और वितरण के प्रमुख पहलुओं पर सिद्धांत और व्यावहारिक सत्र शामिल थे, और व्यावहारिक सत्रों के दौरान प्रतिभागियों की हैंडहोल्डिंग भी थी। पाठ्यक्रम में स्टारपार्ड के कुल ३१ प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे: i) प्रशिक्षण प्रक्रिया, सीखने के सिद्धांत और प्रशिक्षक की भूमिका का वर्णन करना ii) प्रभावी संचार कौशल और तकनीकों का उपयोग करके सत्र की योजना बनाना और संचालित करना, iii) विभिन्न सहभागी / अनुभवात्मक प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करना, iv) प्रशिक्षण डिजाइन और मॉड्यूल विकसित करना v) और पंचायती राज अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में विधियों के अनुप्रयोग का अभ्यास करना। कार्यक्रम के दौरान कवर की जाने वाली प्रमुख विषय प्रशिक्षण प्रक्रिया, प्रस्तुति कौशल, भागीदारी प्रशिक्षण विधियों, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम या एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन करने की प्रक्रिया, प्रशिक्षण की आवश्यकता मूल्यांकन, प्रशिक्षण का मूल्यांकन और कार्य योजना की अनुवर्ती कार्रवाई।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने टीओटी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने प्रशिक्षण विधियों और प्रशिक्षण कौशल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों की पृष्ठभूमि और अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर अपने अनुभव भी प्रतिभागियों के साथ साझा किया।

पाठ्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को न केवल प्रशिक्षण डिजाइन और प्रशिक्षण के कार्यान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित किया गया, बल्कि समूह चर्चा, चर्चा पद्धति, पैनल चर्चा और संगोष्ठी, मामला अध्ययन, प्रदर्शन जैसे भागीदारी प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करने के तरीके पर भी प्रशिक्षित किया गया और उनके प्रशिक्षण को प्रकृति में अधिक सहभागी बनाने के लिए डी-ब्रीफिंग किया गया। प्रशिक्षण की जरूरतों, शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण और शिक्षाशास्त्र की पहचान, प्रशिक्षण सत्र की योजना बनाना, संचार कौशल, सीखने के वातावरण और कक्षा की गतिशीलता और प्रबंधन जैसी कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणाओं से भी निपटा गया।

सभी प्रशिक्षणार्थियों ने सत्रों के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और पाठ्यक्रमों की सराहना की। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी तरह के प्रशिक्षण के लिए एनआईआरडीपीआर को दो और बैच भेजने का फैसला किया है।

महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस ने पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और सतत ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण के महत्व के संबंध में अपनी टिप्पणियों को साझा किया।

कार्यक्रम का समन्वय डॉ. राजेश के. सिन्हा, सहायक प्रोफेसर (सीआरसीटीएन), डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर (सीएचआरडी) और डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर और प्रमुख (सीएचआरडी) और टीम द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रम

डॉ. केतकी बापट, वैज्ञानिक एफ, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रो स्पार्क कोटिंग प्रौद्योगिकी का उद्घाटन, श्री संजय गोयल, आईआरटीएस, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, डॉ मधु बाला, निदेशक, डीआईबीईआर, डीआरडीओ, हल्द्वानी, उत्तराखंड, डॉ. डब्ल्यु. आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर; श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक,एनआईआरडीपीआर, डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीआईएटी और कार्यक्रम निदेशक और अन्य प्रतिभागीगण

जैव ऊर्जा अनुसंधान रक्षा संस्थान (डीआईबीईआर), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), हल्द्वानी, उत्तराखंड द्वारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन

उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्थायी आवास के बारे में जानने के लिए महानिदेशक के बंगले का दौरा

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

संपादक : डॉ. के पापम्मा
सहायक संपादक: कृष्णा राज
के.एस. विक्ट र पॉल
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन